(267)

Rs. 301—

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल कैम्प रीवा ग्वालियर (म०प्र०)
III/निग०/सीधी/2017/3414

राजस्व निगरानी कमांक——— / 2017

अर्जुन सिंह तनय श्री शिवनाथ सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम महराजपुर तहसील गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी म0प्र0 ——————— आवेदक

अधि० श्री राघवेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा पेश 21-9-2017

बनाम,

म0प्र0शासन ——————— अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक— 94 / अ—74 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 27.7.2017,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित आवेदन पत्र प्रस्तुत है :—

1— यहकि प्रस्तुत किये जा रहे पुनरनिरीक्षण के निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश से प्रासंगिक तथ्यों का सूक्ष्म विवरण इस निगरानी की विषयवस्तु के रूप में निवेदित किया जाना आवश्यक है जो इस तरह है कि :—

(ए) यहकि न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग—2 सीधी द्वारा सिविल वाद कमांक—113ए/2002 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.12.03 के माध्यम से ग्राम महराजपुर तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 में स्थित मध्यप्रदेश राज्य के स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 237 रकवा 0.07 हैक्टेयर, 242 रकवा 0.08 हैक्टेयर तथा 202/0.05 तथा 248/0.32 कुल किता 4 योग रकवा 0.52 हैक्टेयर का आवेदक को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / सीधी / भू–रा0 / 2017 / 3414 जिला–सीधी

अर्जुन सिंह / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री रावेन्द्र सिंह शिकरवार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 94 / अ–74 / 2015–2016 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	